खास-खबरें

कलेक्टर के आदेश पर अब सुबह लगेंगे जिले के सभी स्कूल

बैतूल। भीषण गर्मी के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा बच्चों को लू और गर्म हवाओं से राहत देने के लिए स्कूल का समय बदलने की मांग की गई थी। इस पर जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोपहर 12 बजे के पहले ही स्कूलों का संचालन करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, सीबीएसई, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि को निर्देशित किया गया है कि वे कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं दोपहर 12 बजे से पूर्व ही संचालित करें।

तीसरे मंगलवार को सेमरी हरचंद में होगी सुनवाई

सेमरी हरचंद। एसडीएम अनिल कुमार जैन ने सोहागपुर में जनसुनवाई आयोजित की, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। इस दौरान कुल 9 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे शामिल थे। उज्जवला योजना की समस्या*- शांति बाई ने बताया कि उज्जवला योजना के तहत मिली गैस की छोटी टंकी को एजेंसी भरने से मना कर रही है। * अतिक्रमण की शिकायत- महेश परदेसी ने अपने घर के पीछे शासकीय नाली पर अतिक्रमण की शिकायत की। चंद्रकला तिवारी ने नक्शा सुधारने और बाबूलाल ने खेत का सीमांकन कराने के लिए आवेदन दिया। शासकीय भूमि संबंधी मुद्दे: प्रहलाद सिंह गढ़वाल ने शासकीय भूमि संबंधी मुद्दे उठाए। एसडीएम अनिल कुमार जैन ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।

समेरिटंस आईसीएसई में दंत परीक्षण शिविर

नर्मदापुरम। समेरिटंस आईसीएसई स्कूल पिपरिया में गत दिवस दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।प्राचार्य डॉ कल्पना शर्मा ने बताया कि इसमें डा महेश चौधरी और डा निधि सुरजन ने शिक्षकों और बच्चों के दांतों का परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित सफाई करनी चाहिए। अधिक ठंडे और अधिक गर्म खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। उन्होंने दांतों की देखभाल करने के तरीके भी बताए। डॉ. चौधरी एवं डॉ. सुरजन ने बच्चों को उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कॉर्डिनेटर श्रीमती दिव्या अग्रवाल ने किया।

भूपेन्द्र सिंह ने पेयजल व्यवस्था का किया शुभारंभ

खुरई। भाजपा संगठन के 'गांव चलो बस्ती चलो' अभियान के अंतर्गत पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने खुरई के परसा चौराहे के पास सराय कांप्लेक्स के सामने नि: शुल्क पेयजल व्यवस्था (प्याऊ) का शुभारंभ किया।

केवल निर्माण कार्य करना ही पंचायत का काम नहीं, हमें लोगों की विचार प्रणाली को भी बदलना होगा : मंत्री पटेल

भिण्ड।

जिले के प्रभारी मंत्री तथा मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के मुख्य आतिथ्य में पंच, सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल मेला ग्राउण्ड भिण्ड में आयोजित किया गया।

इस दौरान विधायक भिण्ड नरेन्द्र सिंह कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह नरवरिया, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत सुनील दुबे सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं पंच, सरपंच उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पंच, सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। प्रभारी मंत्री तथा मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने संबोधित कर कहा कि पंच, सरपंच वो संवाद है जो हमें सामर्थ्य देगा और हमारे सामर्थ्य से राज्य और देश यशस्वी बनेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों और कर्त्तव्यों का सामंजस्य आवश्यक है। पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर बेहतर कार्य करें। किसी के प्रति कटुता का भाव न हो। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केवल निर्माण कार्य करना ही पंचायत का काम नहीं है हमें लोगों की विचार प्रणाली को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे आप सभी अपना परिवार चलाते हैं, अगर उसी प्रकार अपनी पंचायत को चलाएंगे तो विकास जरूर होगा। विधायक भिण्ड नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने कहा कि पंचायत हमारी इकाई होती है, अगर हमें विकास करना है तो पंच, सरपंचों को जागरूक होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सड़क, पानी, नाली जैसी छोटी-छोटी जो समस्याएं होती हैं, ऐसी सभी समस्याओं का निदान सरपंच बड़ी आसानी से कर सकता है। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हमारी पंचायत में क्या-क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे हो अगर हम समय-समय पर पंच, सरपंच की बैठक ठीक प्रकार से होने लगेंगी तो समस्याओं का समाधान हो सकता है।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया ने कहा कि कई संसाधनों की कमी की वजह से हमारे मन में ये आता है कि जो हमें कार्य करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन संसाधनों की समस्या हर जगह रहती है पर उससे ऊपर उठकर भी हमें ये देखना है कि हम अपनी पंचायतों के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए नया सत्र शुरू हो रहा है तो हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चे छूट रहे हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो किस प्रकार से हम उन बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित करें और उन बच्चों का दाखिला हम स्कूल में करवाएं। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो जल की समस्या बढ़ेगी तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी पंचायत में कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हमें यह सोचना है कि हम कैसे अपनी पंचायत को स्वावलंबी बना सकते हैं।

भाजपा राष्ट्र प्रथम व अंत्योदय के सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है : हितानंद

हरदा (काप्र)।

भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पार्टी की स्थापना दिवस के अंतर्गत गांव/बस्ती चलो अभियान के तहत बुधवार को हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के करताना मंडल के ग्राम पोखरनी में बूथ समिति की बैठक को संबोधित कर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया एवं गौशाला में श्रमदान कर शोभा यात्रा में शामिल हुए।

प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम से दो सांसदों से देश सेवा का सफर शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम व अंत्योदय के सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, युवा, महिला व किसान कल्याण के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

भाजपा ने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया: श्री हितानंद ने कहा कि भाजपा विचार आधारित दल है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करता। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता देश और समाज की सेवा कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहता है। पार्टी का स्थापना दिवस हमें अपने संगठन के महापुरूषों के पथ पर चलते हुए देश और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। जनसंघ के जमाने से ही हमने देश की सेवा करने के साथ कई संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को पूरा किया जा रहा है।

तीनों मंडलों का संयुक्त रूप से सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न

खुरई।

भारतीय जनता पार्टी पार्टी एवं पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर के निर्देश पर ऑफीसर कॉलोनी स्थित बंगले पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ग्रामीण मंडल एवं धनोरा मंडल की संयुक्त बैठक कर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजितकिया गया ।

कार्यक्रम में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशराज यादव ने भाजपा की चुनावी सफलता संगठनत्मक विस्तार के बारे में बताते हुए कहां की पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन का विस्तार किया है। अपना बूथ सबसे मजबूत यह पार्टी का नारा रहा है और पार्टी की सोच रही है कि हर बूथ हमें जितना है । पार्टी ने विस्तार कार्यकर्ताओं की टोली शक्ति के जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को बूथ के काम का में लगाया है और आज यह परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूत स्थिति में खड़े हुई है। हम सब का दायित्व की पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करना है जो बूथ पहले अनुसूचित जाति वर्ग, अल्पसंख्या बूथ पर पर कमजोर हुआ करती इन्हीं बूथों परभारतीय जनता पार्टी आज वर्तमान समय में सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है ।भारतीय जनता पार्टी ने विकास की अलख जगाई है।

भारत की मेडिकल कम्युनिटी में अपना रुतबा बनाने रखा फर्जी विदेशी नाम, फिर दस्तावेज भी बनवा लिए

दमोह।

जिले के मिशन अस्पताल में बीते दिनों हुई 7 मरीजों की मौत के आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ (एन केम जॉन) के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई हैं कि इसने भारत की मेडिकल कम्युनिटी में अपना रुतबा बनाने के लिए अपना विदेशी नाम रख लिया और फिर इसने इसी नाम के सभी फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए। ये बात आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कबूल भी की है।

दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में आरोपी डॉक्टर ने बताया है कि उसकी एमबीबीएस की डिग्री असली है, जो उसने नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण की थी। साथ यह भी जानकारी दी कि उसका असली नाम नरेंद्र यादव है, जो कानपुर का निवासी है। आरोपी ने अपने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम भी शामिल किये, परन्तु यह आरोपी वास्तविकता में अविवाहित है। उसने यह भी बताया की एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी बनवाई है। आरोपी इस बीच यूके गया था और उसने एमडी एमआरसीपी का कोर्स वहां किया था और इसके बाद एक दो वर्ष में किए जाने वाले कुछ अन्य कोर्स भी किये थे।लेकिन जब वह विदेश से वापस आया तो यहां उसका प्रेक्टिस कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि विदेश में ली गई डिग्रियों की मान्यता भारत में नहीं है। इसके लिए उसे भारत की एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री चाहिए थी और उसने वर्ष 2013 की भारत के पांडिचेरी के एक मेडिकल कॉलेज के नाम से कार्डियोलॉजिस्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया।

पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसके पास एक पुराना पासपोर्ट था जिससे वह विदेश गया था। इसके बाद उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरा पासपोर्ट भी बनवाया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर का पुराना पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है साथ ही आरोपी कितने बार विदेश गया, किन-किन संस्थानों में उसने अध्ययन कर डिग्रियां प्राप्त की है फिलहाल इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में पुलिस लगी हुई है।यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी को डॉक्टरी का पूरा काम आता है। उसने यह सब इसलिए किया कि बाहर की क्रिश्चियन कम्युनिटी में वह शामिल हो सके और एक विदेशी बड़े डॉक्टर के रूप में भारत में मरीज का उपचार कर ख्याति प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से इसने अपना नाम बदल लिया।पुलिस द्वारा आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और आगामी समय में इस मामले के अन्य खुलासे होने की संभावना है।

वहीं दिल्ली दमोह पहुंची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह में दो दिन के बाद तीसरे दिन बुधवार सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस से जबलपुर डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई जहां से टीम दिल्ली जाएगी और अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। दमोह में मानव अधिकार आयोग की टीम के सदस्यों ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी हुई थी।साथ ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज की टीम भी दमोह के मिशन अस्पताल में दस्तावेजों की जांच करने के लिए मंगलवार शाम को पहुंची थी और रात करीब 8:30 बजे तक उन्होंने जांच करने के बाद टीम में शामिल डॉक्टर ने भी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा नहीं की है।

सिलोदा ग्राम में नई सरपंच नियुक्त

खंडवा।

ग्राम पंचायत सिलोदा में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की मनवाइफमानी के चलते ग्रामवासियों में असंतोष गहराता जा रहा था। इसी क्रम में पूर्व सरपंच आरती पगारे के खिलाफ पंचों ने आरोप लगाते हुए 21 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके बाद मंगलवार को जीवन बाई पिता बंडु को ग्राम पंचायत का नया सरपंच निर्विरोध चुना गया। उनके चयन से ग्रामीणों में विकास कार्यों के प्रति नई उम्मीद जगी है।

नए सरपंच के चयन के दौरान पर्यवेक्षक मिश्रीलाल पटेल, पंचायत इंस्पेक्टर हरियाली, सचिव सुनील यादव, उपसरपंच नंदलाल पटेल सहित कुल 18 पंच उपस्थित रहे। पंचों ने एकमत से जीवन बाई के नाम का समर्थन किया। ग्राम पंचायत में लंबे समय से पंचायत कार्यप्रणाली के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था भ्रष्टाचार और गांव में अशांति का माहौल पनप रहा था इन सभी घटनाओं से नाराज़ ग्रामीणों ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। अब जीवन बाई के रूप में नया नेतृत्व मिलने से ग्रामीणों को पंचायत के विकास की उम्मीद है।

न्यायाधीश श्वेता गोयल ने जेल का किया निरीक्षण

बड़वाह। तहसील विधिक सेवा समिति बड़वाह की अध्यक्ष एवं प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री श्वेता गोयल द्वारा उप जेल बड़वाह में बंदियों के बीच उपस्थित होकर उनकी समस्याओं को जाना ।

सब जेल बड़वाह में कुल बंदी 86 जिसमे विचाराधीन बंदी 70 तथा सजायाफ्ता बंदी 16 है। न्यायाधीश गोयल द्वारा बंदियो से उनकी समस्या पूछी।बन्दियो ने अपनी समस्या न्यायाधीश के समक्ष कही। न्यायाधीश द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया। उन्हें उनकी पेशी की जानकारी दी गई। वीडियो क्राफेंसिंग के माध्यम से अपने अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। न्यायाधीशगण द्वारा बन्दियों को दिए जाने वाले नाश्ते, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। बन्दियों को उनके परिजनों से मिलाने का भी अपना निर्धारित समय है, जिससे वह अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर पाते हैं।बन्दियो द्वारा हफ्ते में दो बार फोन द्वारा अपने परिजनो से बात करने के लिए न्यायाधीश से निवेदन किया गया।शिविर में जेलर युवराज सिंह मुवेल,न्यायालय कर्मचारी प्रदीप पाराशर व जेल स्टाफ की भी इस विधिक शिविर में उपस्थिति रहे।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग नर्मदापुरम्

आम सूचना

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पं. दीनदयाल नगर इटारसी में स्थित आवंटित भवन/भूखण्ड सिनियर ई. डब्ल्यू. एस.-145 मण्डल द्वारा श्रीमती सुनंदा पंवार पति श्री भोजराज कोडले के नाम पर आवंटित है। श्रीमती सुनंदा पंवार पति श्री भोजराज कोडले के द्वारा उक्त आवंटित भवन/भूखण्ड का विक्रय कर श्रीमती रेखा रोहे पति श्री विनेश रोहे के नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करे। समयावधि निकल जाने के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. संभाग नर्मदापुरम

AG

न्यायालय नजूल अधिकारी, इटारसी
प्रकरण / प्रेस विज्ञप्ति
म0प्र0शा0 0064-31-20(3) वर्ष 2024-25
आम जनता को इस प्रकरण प्रेस मुनादी के जरिये सूचित किया जाता है आवेदक कमल किशोर शुक्ला आदि म0प्र0 जयशंकर शुक्ला निवासी वार्ड नं0 25 नेहरूगंज इटारसी तह0 इटारसी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109,110 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि नजूल सीट नं. 06 प्लाट नं 7/6 रकबा 66 वर्ग फीट एवं प्लाट नं0 11/1 रकबा 580 वर्गफुट जुमला रकबा 646 वर्गफुट भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से जयशंकर शुक्ला और रामनारायण शुक्ला के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। जयशंकर शुक्ला और रामनारायण शुक्ला की मृत्यु दिनांक 06/01/2018 को हो गई है। मृतक जयशंकर शुक्ला और रामनारायण शुक्ला के विधिक वारसानों में उक्त आवेदन पत्र की कंडिका 02 में वर्णित विधिक वारसानों के अतिरिक्त अन्य कोई जीवित या मृत विधिक वारसान नहीं है। आवेदक अपने पिता की उक्त वर्णित संपत्ति के क्रय भाग पर वारसान हक में फौती नामांतरण कराकर नजूल राजस्व अभिलेखों में उनका नाम विलोपित करा कर उक्त आवेदन पत्र की कंडिका 02 में वर्णित वंशवृक्ष के अनुसार उनके विधिक वारसानों का नाम दर्ज कराना चाहता है एवं आवेदन पत्र की कंडिका 01 में वर्णित संपत्ति पर सहखातेदार के रूप में श्रीमती गिरीराज किशोरी शुक्ला पत्नि स्व0 चन्द्रशेखर शुक्ला का नाम दर्ज है जिनकी मृत्यु दिनांक 10.11.2016 को नगर भोपाल में हो गई है और उनके विधिक वारसान पूर्व से अभिलेख पर दर्ज है गिरीराज किशोरी शुक्ला पत्नि चन्द्रशेखर शुक्ला का नाम उनकी मृत्यु हो जाने के कारण विलोपित कराना चाहते है तथा उक्त वर्णित भूमि के में से गायत्री देवी पत्नि रामसेवक शुक्ला, राजेन्द्र 380 रामसेवक शुक्ला एवं साधना पुत्री रामसेवक शुक्ला एवं साधना पुत्री रामसेवक शुक्ला द्वारा अपना अंश भाग पंजीकृत विक्रय दिनांक 25-08-2003 के माध्यम से विमला चौधरी पत्नि स्व0 कन्हैयालाल चौधरी को विक्रय कर दिया है माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30/12/2003 के परिपालन में नजूल अभिलेखों में सीट नं0 06 प्लाट नं0 11/2 रकबा 429 वर्गफु0 भूमि पर विमला चौधरी पत्नि स्व0 कन्हैयालाल चौधरी का नाम दर्ज हो गया है अतः गायत्री देवी पत्नि रामसेवक शुक्ला, राजेन्द्र 380 रामसेवक शुक्ला एवं साधना पुत्री रामसेवक शुक्ला का नाम विधि अनुसार नजूल अभिलेखों में से विलोपित किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदकगण के उक्त आवेदन पर जनसामान्य को कोई आपत्ति या कोई दावा प्रस्तुत करना हो तो वह प्रकरण के सुनवाई दिनांक 16/04/2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय नजूल अधिकारी इटारसी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय अवधि में दावा या आपत्ति पेश न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावेगा।
नोट - नियत तिथि को अधिवक्ता उपस्थित होने की दशा में प्रकरण की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में होगी।
नजूल अधिकारी, इटारसी

AG

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी जिला- नर्मदापुरम
क्रमांक/ 1552/अधिप्र/रीडर- 1/2025.
इटारसी दिनांक 01.04.2025.
राजस्व प्रकरण क्र -0117/अ-6(अ)/2023-24
//विज्ञप्ति//
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैराज उल हक पुत्र अब्दुल बहूद निवासी वार्ड नंबर 13 मकान नंबर 39 सदर बाजार नर्मदापुरम तहसील व जिला नर्मदापुरम के द्वारा म0प्र0भू0 रा0 संहिता 1959 की धारा 115 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 187 रकबा 1.748 है0 एवं भूमि खसरा नंबर 188 रकबा 0.162 है0 मौजा ग्राम तलवारी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम के मालिकस्वामी है। आवेदक को उक्त भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है तब से वे आवेदक उक्त भूमि का मालिकस्वामी है। भूमि का पुराना खसरा नंबर 118 जिसका नहर आने के बाद वर्ष 1976 से वर्ष 1981 में भूमि का बटाकन होने के बाद पुराना खसरा नंबर 118/1 रकबा 3.66 एकड़ आवेदक के पूर्वजों के नाम अब्दुल बहूद के नाम पर दर्ज हुआ एवं भूमि खसरा नंबर 118/2- रकबा 1.58 एकड़ भूमि सिंचाई नाली में राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। आवेदक द्वारा यह भी तर्क किया है कि प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व खसरों में पुराना खसरा नंबर 118/1 रकबा 3.66 एकड़ एवं भूमि खसरा नंबर 129/2 रकबा 1.43 एकड़ कुल रकबा 4.69 एकड़ भूमि वाले 1.897 है0 का नया खसरा नंबर 188 रकबा 1.748 है0 मौजा तलवारी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ एवं खसरा नंबर 129/2 का अन्य नया खसरा नंबर 187 बना जिसका रकबा 0.162 है0 दर्ज हुआ। स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभिलेखों में बाकबंदी के नवीन खसरे दर्ज हुए उस समय भूलवश एवं त्रुटिवश भूमि खसरा नंबर 188 के स्थान पर 187 दर्ज हो गया एवं भूमि खसरा नंबर 187 के स्थान पर 188 दर्ज हो गया और उक्त नये खसरे के रकबों में राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश परिवर्तन दर्ज हो गया है। बाकबंदी के नये निर्माणित खसरों का अवलोकन किया गया तब राजस्व नक्शे में पूर्व से चले आ रहे नक्शे में 188 जो मूल रकबा 1.748 है0 उसके स्थान पर रकबा 0.162 है0 दर्ज हो गया है नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि जो नक्शे में लाईन से रकबा दर्शाया गया है उसका रकबा कम है एवं भूमि खसरा नंबर 187 जिसका मूल रकबा 0.162 है0 है उसके नक्शे में भी रकबे के अधिक है। आवेदक उपरोक्त त्रुटियों का सुधार कराकर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में मौजा ग्राम तलवारी स्थित भूमि खसरा नंबर 188 रकबा 1.748 है0 एवं भूमि खसरा नंबर 187 रकबा 0.162 है0 दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराना चाहता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15/04/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। समयावधि पश्चात प्राप्त सभी आपत्ति अमान्य की जावेगी। यह इश्तहार आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
टी.प्रतीक राव, (आई.ए.एस.)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी

AG

लाडली बहनों एवं मासूम बच्चियों के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओ को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

सेंधवा।

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लाडली बहनों एवं मासूम बच्चियों के साथ हो रही उत्पीडन,दुष्कर्म एवं सामूहिक दुराचार की घटनाओ को लेकर पूरे प्रदेश में 3 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जिला स्तर पर बेटी बचाओ अभियान चलाने के निर्देश पर महिला कांग्रेस कमेटी जिला बड़वानी की जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार के नेतृत्व में सेंधवा मे महिला कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता किला परिसर स्थित विधायक कार्यालय पर एकत्रित हुए वहा से सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर एवं नारेबाजी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे एवं अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा श्री आशीष को ज्ञापन सौंपा।

महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनतापार्टी की सरकार हैं। परन्तु मध्य प्रदेश में लाडली बहनों समेत मासूम बच्चियों के साथ उत्पीड़न,दुष्कर्म एवं सामूहिक दुराचार की घटनाए निरंतर हो रही हैं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर वन बनने में लगा हुआ हैं। ये घटनाए मानवता एवं समाज के लिए कलंक हैं।

महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाडली बहनों एवं बच्चियों के साथ लगातार हो रही उत्पीडन एवं दुष्कम्मं की घटनाओ का पुर जोर विरोध् करती हैं। प्रदेश के मुख्य मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती हैं की आप लाडली बहनों एवं मासूम बच्चियों के साथ हो रही उक्त घटनाओ पर रोक लगवाए ताकि मध्य प्रदेश में महिलाएऔर बच्चिया अपने आप को सुरक्षित मेहसूस कर सके आज उक्त ज्ञापन के माध्यम से महिला कांग्रेस आपसे अनुरोध कर रही हैं अगर फिर भी मध्य प्रदेश में महिलाओ और बच्चियों के साथ होने वाली उत्पीडन की घटनाए बंद नहीं हुई तो महिला कांग्रेस भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जन आन्दोलन करेगी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी जिला- नर्मदापुरम
क्रमांक/ 1600/अधिअ/रीडर-1/2025-
इटारसी दिनांक 02.04.2025
राजस्व प्रकरण क्र-0124/अ-6(अ)/2023-24
//विज्ञप्ति//
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकलत कंकाटिया पत्र जुगलकिशोर निवासी ग्राम खोखंडा तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 की धारा 115 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक के मालिकाना हक, स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 0.194 है0 वाके मौजा ग्राम खोखंडा तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम में स्थित भूमि पर से श्रीमती लक्ष्मी देवी केशवनारायण निवासी गुरुद्वारे के पास डुबे गली सूरजगंज इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम का नाम विलोपित किया जाकर श्रीमती तुलसाबाई पत्नि जुगलकिशोर, रामकलत पत्र जुगलकिशोर, श्रीमती गंगाबाई पत्नि रामकलत कामता प्रसाद, मनीष पत्र कामता प्रसाद, सुरेन्द्र पत्र कामता प्रसाद, सुशील पत्र कामता प्रसाद, शुभम पत्र कामता प्रसाद, मनीषा पुत्री कामता प्रसाद का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त कराना चाहता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 10/04/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी। समयावधि पश्चात प्राप्त सभी आपत्ति अमान्य की जावेगी। यह इश्तहार आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
टी.प्रतीक राव, (आई.ए.एस.)

AG